रजिस्ट्री सं० डी०एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2667] नई दिल्ली, मंगलवार, अगस्त 13, 2019/श्रावण 22, 1941
No. 2667] NEW DELHI, TUESDAY, AUGUST 13, 2019/SHRAVANA 22, 1941

श्रम और रोजगार मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 13 अगस्त, 2019

का.आ. 2927(अ).—29 दिसंबर, 2016 को झारखंड राज्य के जिला गोड्डा में, मेसर्स ईस्टर्न कोल्ड फील्डस लिमिटेड की राजमहल की खुली खदानों में एक दुर्घटना घटित हुई थी;

और, 2017 की रिट याचिका संख्या 66 (मोहम्मद सर्फराज बनाम झारखंड राज्य और अन्य) में रांची स्थित माननीय झारखंड उच्च न्यायालय ने तारीख 5 अप्रैल, 2019 के आदेश द्वारा मामले का निपटान करते हुए यह अभिनिर्धारित किया कि "तथापि, दुर्घटना के कारणों और परिस्थितियों की जांच के लिए जांच न्यायालय की परिधि बहुत व्यापक है और यदि अतिरिक्त सुरक्षा संबंधी कार्रवाई या उपचारी उपायों का किया जाना अपेक्षित है तो इस संबंध में जांच न्यायालय सिफारिश कर सकता है। ऐसी परिस्थितियों में केंद्रीय सरकार को खान अधिनियम, 1952 की धारा 24 में यथा अनुध्यात पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए जांच न्यायालय की नियुक्ति पर विचार करना चाहिए" ;

और, केंद्रीय सरकार की यह राय है कि दुर्घटना के कारणों और परिस्थितियों की किए जाने वाले अपेक्षित अतिरिक्त सुरक्षा संबंधी कार्रवाई या उपचारी उपायों के लिए सिफारिशें, यदि कोई हों, करने की औपचारिक जांच की जानी चाहिए ;

अब, केंद्रीय सरकार खान अधिनियम, 1952 (1952 का 35) की धारा 24 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्रीमती रश्मी वर्मा, पूर्व सचिव, भारत सरकार को जांच करने के लिए और तीन मास के भीतर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए नियुक्त करती है । केंद्रीय सरकार निम्नलिखित व्यक्तियों को जांच करने में एसेसर के रूप में नियुक्त करती है, अर्थात् :--

(i) श्री अख्तर जावेद उस्मानी, हिन्द मजदूर सभा का प्रतिनिधि ;

(ii) श्री रबिन्द्र शर्मा, पूर्व मुख्य खान निरीक्षक और डी. जी. एम. एस.।

[फा. सं. एन-11012/3/2016-आईएसएच.II]

कल्पना राजसिंहोत, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT

NOTIFICATION

New Delhi, the 13th August, 2019

S.O. 2927(E).—Whereas an accident has occurred in the Rajmahal Opencast Mines of M/s. Eastern Coal Fields Limited, in District Godda of Jharkhand State on 29th December, 2016 causing loss of lives;

And whereas the Hon'ble High Court of Jharkhand at Ranchi in Writ Petition No. 66 of 2017 [Md. Sarfaraj Vs. State of Jharkhand and other], while disposing of the case vide its order dated 5th April, 2019 held that "However, scope for a Court of inquiry to examine the causes and circumstances attending the accident is much wider and if any further safety steps or remedial measures are required to be taken, the Court of inquiry can make the recommendation in that regard. In such circumstances, Central Government should consider appointing a Court of inquiry for the purpose aforesaid as contemplated in section 24 of the Mines Act, 1952";

And whereas the Central Government is of the opinion that a formal inquiry into the causes and the circumstances attending the accident and to make recommendations, if any, for further safety steps or remedial measures required to be taken, ought to be held;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 24 of the Mines Act, 1952 (35 of 1952), the Central Government hereby appoints Smt. Rashmi Verma, Former Secretary to the Government of India to hold such inquiry and present a report within a period of three months. The Central Government also appoints the following persons as assessors in holding of the inquiry, namely: –

(i) Shri Akhter Javed Usmanee, representative of Hind Mazdoor Sabha;

(ii) Shri Rabindra Sharma, Ex-Chief Inspector of Mines and DGMS.

[F. No. N-11012/3/2016-ISH.II]

KALPANA RAJSINGHOT, Jt. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

MANOJ KUMAR VERMA
Digitally signed by MANOJ KUMAR VERMA
Date: 2019.08.13 19:49:08 +05'30'